FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर

सांवरमल बनाम **ज्योत्सना खेड़ा, RAS, (SDO दांतारामगढ़) आदि**

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) **मुकदमा नम्बर – 26/2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.05.2026	प्रार्थी **सांवरमल** की ओर से वकील **श्री बजरंगलाल शर्मा** ने उपस्थित होकर यह **प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण 103/2023 बउनवानी सांवरमल बनाम मंदिर मूर्ति ज्यानकीनाथ आदि को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु** पेश किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मुंतकिली में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2559 रकबा 1.40 हैक्टेयर राजस्व ग्राम खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर के बाबत प्रार्थी की ओर से संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध प्रस्तुत राजस्व वाद प्रकरण संख्या 103/2023 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अं.धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 67/2023 उनवानी सांवरमल बनाम मंदिर मूर्ति ज्यानकीनाथ आदि पेश किया गया था। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.06.2023 को दर्ज किये गये थे। उसके पश्चात पत्रावली विभिन्न तारीख पेशीयों में चलती रही तथा दिनांक 13.08.2025 को प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत टीआई आवेदन सं. 67/2023 को खारिज कर दिया। प्रार्थी एक ग्रामीण परिवेश का भोला भाला वृद्धि व्यक्ति है व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है, जिनका बड़े लोगो के साथ उठना बैठना होता रहता है। दिनांक 03.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने गांव में लोगों से कहा कि उपखण्ड अधिकारी खण्डेला से बातचीत हो गयी है व अगली पेशी पर अपने दावा का फैसला अपने पक्ष में हो जावेगा। प्रार्थी ने स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के चैम्बर से बाहर निकलते भी देखा है, जिससे प्रार्थी को पूर्ण भय व आंशका हो गयी है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के यहां से न्याय नहीं मिलेगा व उपखण्ड अधिकारी खण्डेला प्रार्थी के विरूद्ध कभी भी दावा में विपरीत आज्ञा पारित कर सकते है। जो उक्त प्रकरण में काफी छोटी छोटी तारीख पेशियां देकर दबाव बना रहे है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण में न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए। प्रार्थी को पूर्ण भय व आंशका है कि उपखण्ड अधिकारी रींगस से प्रार्थी को न्याय नहीं मिल सकता है। **Contd...**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इसलिए प्रार्थी की आंशका को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का आवेदन मुंतकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के यहां विचाराधीन दावा प्रकरण संख्या 103/2023 बउनवानी सांवरमल बनाम मंदिर मूर्ति ज्यानकीनाथ आदि वगैरह को तलब कर श्रीमानजी स्वयं सुनवायी करें या किसी निष्पक्ष अधिकारी के यहां स्थानान्तरित की जाने की आज्ञा फरमायें।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है कि, प्रश्नगत राजस्व वाद प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला में दिनांक 22.06.2023 को दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवायी की जा रही है, एवं पक्षकारान को सुनवायी के पर्याप्त अवसर भी दिये जा रहे हैं। प्रश्नगत वाद की आदेशिकाओं से प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवायी के समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी दिये गये हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण पत्रावली की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रश्नगत वाद पत्रावली में ऐसी कोई विपरीत कार्यवाही किया जाना जाहिर नहीं आया है जिससे कि पत्रावली पर की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध प्रतीत हो। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत वाद की पत्रावली में की गई कार्यवाही नियमानुसार अथवा विधिक रूप से नहीं किया जाना प्रतीत होता हो। पत्रावली को दर्ज किये जाने के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया है, जिसके दौरान भी वकील प्रार्थी द्वारा अपने मुंतकिली आवेदन एवं पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में कोई साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार मात्र कयासों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

Contd...

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं राजस्थान सरकार के द्वारा भी समय–समय पर परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किये जाकर राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण मुख्यतः पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत निर्देश दिये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों की पालना में राजस्व न्यायालयों में पदस्थापित पीठासीन अधिकारियों द्वारा विचाराधीन राजस्व प्रकरणों में नियमित सुनवायी की जाकर नियमानुसार प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन काफी बार ऐसा देखने में आया है कि पक्षकारान मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न्याय की भावना के विरूद्ध प्रकरणों को लम्बित किये जाने के उद्देश्य से सक्षम न्यायालयों में मुंतकिली आवेदन पेश कर प्रकरणों के निस्तारण को विलम्बित किये जाने का प्रयास करते हैं, जो कि न्याय की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार के कृत्यों को यह न्यायालय बिल्कुल न्यायोचित नहीं मानता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस आवेदन को आगे चलाये जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं मानता है। प्रार्थी नानूराम की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत यह **प्रार्थना पत्र मुन्तकिली दर्ज कर खारिज किया जाता है।** पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रश्नगतत राजस्व वाद प्रकरण संख्या 103/2023 सांवरमल बनाम मंदिर मूर्ति ज्यानकीनाथ आदि में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (आशीष मोदी) **जिला कलेक्टर, सीकर** जिला कलेक्टर, सीकर	जिला कलेक्टर